बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना 800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna 800 004

पत्रांकः Acctts/87/2012-13/Part-III/ 6584 **दिनांकः** 23 **/12/2020**

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- विद्यालय शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति में समग्र शिक्षा कार्यक्रम हेतु बैंक खाता संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम के वित्तीय क्रियान्वयन हेतु Manual on Financial Management and Procurement निर्गत किया गया है, जिसमें Para No. 3.5.2 के अनुसार Nationalized or Scheduled Commercial Banks में बचत खाता को बैंक में खोलकर संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता का संचालन किया जाना है। इस हेतु निम्नांकित स्थिति स्पष्ट की जाती है।

1. **विद्यालय शिक्षा समिति** :- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 8/व 3-157/2003 अंश-1/1318 दिनांक 16.09.2013 द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति का गठन एवं बैंक खाता का संचालन का निर्णय लिया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रमांक 16 के अनुसार "विद्यालय शिक्षा विकास निधि :- प्रत्येक विद्यालय मे विद्यालय शिक्षा विकास निधि के नाम से एक निधि का सृजन किया जाएगा, विद्यालय विकास हेतु प्राप्त सभी राशि इस निधि के खाते में जमा की जाएगी। खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है"।

2. **विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति** :- बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (विघटित) के पत्रांक BMSP/SMDC/589/16-326 दिनांक 12.04.2017 एवं पत्रांक BMSP/SMDC/589/16-603 दिनांक 18.07.2017 के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन एवं बैंक खाता का संचालन का निदेश दिया गया है। उक्त पत्र के अनुसार बैंक खाते का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-अध्यक्ष-विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा वरीय शिक्षक-सह-सचिव-विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है।

3. **उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले प्रबंधन समिति** :- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक मा०शि०/सा०प्र०अधि०-प०-99/93(खण्ड)1020 दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जहाँ कक्षा-1 से लेकर कक्षा-12 तक का अध्यापन क्रमिक रूप से संचालित किया

: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in

जा रहा है, में कक्षा–1 से कक्षा–8 का प्रबंधन विभागीय अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013 द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा ही किया जायेगा। इसी प्रकार कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के प्रबंधन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 22.02.2002 के तहत गठित होने वाले प्रबंध समिति के द्वारा किया जायेगा।

4. उच्च माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रबंधन समिति :- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-: मा०शि०/सा०प्र०अधि०-प०-99/93(खण्ड)1020 दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वैकल्पिक रूप से कक्षा–9 के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन भी विभागीय अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 22.02.2002 के तहत गठित होने वाले प्रबंध समिति के द्वारा किया जायेगा। इस अधिसूचना के तहत प्रबंध समिति के गठन होने तक कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के लिए गठित विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा।

उपयुर्क्त चार परिस्थिति एवं निर्णय से यह स्पष्ट है कि विद्यालय शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा कार्य किया जाना है।

अतः विद्यालय शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति में निम्नांकित के द्वारा संयुक्त रूप से बैंक खातों का संचालन किया जाएगा :-

1. **विद्यालय शिक्षा समिति में :-**
   (a) संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव
   (b) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक
2. **विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति मे :-**
   (a) विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति
   (b) वरीय शिक्षक-सह-सचिव-विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति

उक्त निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त।

24/12/20

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Acctts/87/2012-13/Part-III/ 6584 **दिनांकः** 23**/12/2020**

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल, सभी जिले/प्रशासी पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/असैनिक कार्य प्रबंधक (प्रभारी), राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

257

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या :– 8/व 3–157/2003 अंश-I ..1318 पटना, दिनांक :– ...16/9/13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" का संशोधन आगे दी गयी रीति से किया जाना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त नियमावली में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है ।–

संक्षिप्त नियम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2 बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का भाग 5, (नियम 13 से 72) का संशोधन ।-- उक्त नियमावली 2011 का भाग 5 (नियम 13 से 72) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"भाग– V"

विद्यालय शिक्षा समिति

अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के प्रयोजनार्थ विद्यालय शिक्षा समिति का गठन एवं कार्य।

13. (1) समिति का गठन ।– राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत मातायें होंगी।

(2) समिति के सदस्यों की संख्या ।– समिति के सदस्यों की कुल संख्या 17 होगी जिसमें निम्नवत् सदस्य होंगे :–

(क) ग्राम पंचायत/नगर निकाय के सम्बन्धित वार्ड के वार्ड सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित है । 1 (एक)-- पदेन अध्यक्ष;

(ख) विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक – 1 (एक)- सदस्य;

(ग) छात्र–छात्राओ की मातायें (चयनित) -- 09 (नौ) (चयनित) – सदस्य :– पिछड़ा वर्ग से दो, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से दो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से दो, सामान्य जाति से दो तथा एक माता सदस्य निःशक्त बच्चें की माता होगी।

(घ) जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान – 2 (दो) सदस्य;

Scanned with CamScanner

(ङ०) छात्र प्रतिनिधि (चयनित) – 2 (दो)– सदस्य;

(एक छात्र प्रतिनिधि बाल संसद तथा एक छात्रा प्रतिनिधि मीना मंच की होगी। किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।)

(च) विद्यालय के वरीयतम शिक्षक – 1 (एक)– सदस्य;

(छ) दाता, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम भूमिदान किया हो अथवा विद्यालय निधि में 10 लाख रूपये अथवा दस लाख रूपये से अधिक राशि दिया हो तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके परिवार के कोई सदस्य 1 (एक) सदस्य;

सम्बन्धित संकुल समन्वयक को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

(3) सदस्यता के लिए पात्रता ।– विद्यालय के पूर्ववर्ती वर्गों में, जिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम होगी वैसे बच्चों की मातायें समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किये जायेंगे, लेकिन वर्ग–1 के बच्चों की माताओं के मामले में यह लागू नहीं होगा।

(4) समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया ।– विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा, सम्बन्धित संकुल समन्वयक की सहमति से, नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देख रेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा।

(5) विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन ।– समिति के गठन के उपरान्त, संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा।

(6) समिति के गठन के संबंध में अपील ।– समिति के गठन के विरूद्ध शिकायत के संबंध में, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान) के पास, गठन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, अपील दायर किया जा सकेगा। अपील का निष्पादन इसके दायर होने के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

(7) समिति का अध्यक्ष ।– सम्बन्धित वार्ड सदस्य समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(8) समिति का सचिव ।– समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाएगा।

(9) समिति का कार्यकाल ।– समिति का कार्यकाल निबंधन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा। समिति का पुनर्गठन उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

256

(10) बैठक का कोरम ।— बैठक के कोरम के लिए दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होंगी। कोरम के आभाव में, बैठक स्थगित कर दी जाएगी किन्तु जब उसी ऐजेण्डा के लिए पुनः बैठक बुलाई जाती है तो कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(11) विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक ।— समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से सचिव के द्वारा बैठक बुलायी जायेगी। यदि अध्यक्ष के द्वारा लगातार तीन माह तक बैठक बुलाने की अनुमति न दी जाय तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समिति के सचिव को बैठक बुलाने हेतु नोटिस जारी करने का अधिकार होगा। तद्नुसार सचिव समिति की बैठक बुलायगा। यदि बैठक में अध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं तो समिति के उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन उस बैठक के लिए किया जा सकेगा।

(12) विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का हटाया जाना ।— यदि विद्यालय शिक्षा समिति का कोई सदस्य, समिति की बैठक में, बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें तो समिति के अन्य सदस्यों द्वारा, बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मी की उपस्थिति में, प्रस्ताव पारित होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। हटाये गए सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य का चयन नियम 13 (4) के अनुसार शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(13) समिति के सदस्यो का त्याग–पत्र/हटाया जाना ।— समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र समिति के अध्यक्ष को दे सकेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी जायगी। त्याग–पत्र का अधिप्रमाणन समिति के अध्यक्ष के द्वारा पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर कर ली जायेगी। त्याग–पत्र देने के पाँच दिनों के भीतर त्याग पत्र वापस लिया जा सकेगा। इसकी औपचारिक घोषणा अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी से करवा सकेंगे। यदि शिकायत सत्य पायी जायेगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से सदस्यों को समिति की बैठकों के लिए निलंबित किया जा सकेगा, चेतावनी दी जा सकेगी या समिति से हटाया जा सकेगा। कदाचार तथा समिति की निधि के विपथन एवं दुर्विनियोग के मामले में सचिव को हटाने सहित विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। हटाये जाने के चलते उत्पन्न रिक्तियाँ विहित प्रक्रिया के अनुसार भरी जा सकेगी।

(14) विद्यालय शिक्षा समिति का विघटन ।— अगर सरकार का यह समाधान हो कि किसी विद्यालय की शिक्षा समिति, नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विद्यालय के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा विद्यालय का विकास इस समिति से संभव नहीं है या समिति बच्चों के शिक्षा के अधिकार के दायित्वों का अनुपालन करने में असफल रही है अथवा सरकार द्वारा निदेशित कार्यो को पूरा करने में असफल रह रही है तो सरकार, वर्त्तमान समिति को विघटित करते हुए, नई समिति का गठन करने का विनिश्चय कर सकेगी। सरकार ऐसा विनिश्चय जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी एवं अन्य के प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेगी।

Scanned with CamScanner

(15) विद्यालय शिक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य ।– विद्यालय शिक्षा समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :–

(क) विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना;

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग;

(ग) विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों की शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना;

(घ) सरकार के नियमों के अनुसार, विद्यालय का भवन निर्माण, एवं भवन के रख–रखाव में जन अंशदान प्राप्त करना;

(च) नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(छ) यह ध्यान रखना कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाया जाय;

(ज) शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना;

(झ) प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 (दो) माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिये गए दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार की जायेगी जिसमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तथा विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदानों के व्यय के भी प्रस्ताव का विवरण होगा। समिति द्वारा तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को माता–पिता एवं अभिभावकों की सामान्य निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदित विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित की जायगी;

(ट) समय–समय पर आवश्यकतानुसार समिति को अन्य कार्य भी सौंपे जा सकेंगे।

(16) विद्यालय शिक्षा विकास निधि । प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा विकास निधि के नाम से एक निधि का सृजन किया जाएगा। विद्यालय विकास हेतु प्राप्त सभी राशि इस निधि के खाते में जमा की जाएगी। खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। समिति को अधिकार होगा कि वह जनभागीदारी से विद्यालय के विकास हेतु नगद राशि, एवं सामग्री प्राप्त कर सके। जन अंशदान के माध्यम से प्राप्त राशि भी विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में जमा की जाएगी, किन्तु इसके व्यय के लिए एक अलग पंजी संधारित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा विकास निधि के अंकेक्षण कराने की व्यवस्था सरकार करेगी। जन अंशदान से प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप में व्यय की जा सकेगी :–

(क) कोष में दान स्वरूप प्राप्त राशि में से एक लाख रूपये से अधिक का व्यय विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन पर संबंधित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। एक लाख रूपये तक का व्यय समिति के द्वारा की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

(ख) एक लाख रूपया या इससे अधिक किसी एक दानदाता से दान स्वरूप प्राप्त राशि का व्यय दाता की अनुशंसा के अनुरूप विद्यालय हित में किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, अगर दाता विद्यालय में चापाकल के स्थापना अथवा छात्राओं के लिए शौचालय के निर्माण के लिए अनुशंसा करते हैं तो तदनुसार राशि खर्च की जायगी। अगर दाता अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो दान स्वरूप प्राप्त राशि मूलतः विद्यालय की आधारभूत संरचना यथा–उपस्कर, ब्लैकबोर्ड, चापाकल–स्थापना, शौचालय का निर्माण, मरम्मति आदि पर व्यय की जा सकेगी।

(ग) अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक करोड़ या एक करोड़ रूपये से अधिक की नगद राशि विद्यालय निधि में दान की जाती है तो विद्यालय के मुख्य–द्वार पर उस व्यक्ति अथवा उसकी इच्छा के व्यक्ति का नाम लिखा जा सकेगा।

(17) पंचायती राज संस्था/नगर निकायों के साथ समन्वय :– विद्यालय शिक्षा समिति पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों की उप समिति के रूप में कार्य करेगी जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली में विहित हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरजीत सिन्हा) 13/9/13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I ...13/8 पटना, दिनांक :– ...16/9/13...

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/9/13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I ...13/8 पटना, दिनांक :– ...16/9/13...

प्रतिलिपि : अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

13/9/13

Scanned with CamScanner

पत्रांक : BMSP/SMDC/589/16-326 दिनांक : 12 अप्रैल, 2017
प्रेषक :

के० सेंथिल कुमार (भा०प्र०से०)
राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी/
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA),
सभी जिले, बिहार।

विषय : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति गठित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के विद्यालयस्तरीय गतिविधियाँ सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयस्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानदंडों के अनुरूप निदेशानुसार निम्न कमिटी का गठन करने हेतु इस कार्यालय के पूर्व में दिये गये निदेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

(1) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति SMDC

उप समिति – (1) विद्यालय भवन समिति (School Building Committee)
(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति (School Academic Committee)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त कमिटी की संरचना एवं कार्य निम्नवत् होगें।

(1) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति

संरचना –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	सहायक शिक्षक, समाजिक विज्ञान	सदस्य
3	सहायक शिक्षक, विज्ञान	सदस्य
4	सहायक शिक्षक, गणित	सदस्य
5	क्रमांक 1 से 4 तक के सदस्यों द्वारा चयनित पुरुष अभिभावक (सुझाव–नवम वर्ग में अधिकतम अंक पाने वाले छात्र/छात्रा के पिता)	सदस्य
6	क्रमांक 1 से 4 तक के सदस्यों द्वारा चयनित महिला अभिभावक (सुझाव–नवम वर्ग में अधिकतम अंक पाने वाली छात्रा/CWSN छात्र/छात्रा की माता)	सदस्य
7	पंचायती राज संस्था दो प्रतिनिधि (पंचायती राज संस्था जिसमें विद्यालय अवस्थित हो के शिक्षा विकास समिति के सदस्य)	सदस्य
8	अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि (अभिभावक)	
9	शैक्षणिक रूप से पिछड़े/अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधि (यथासंभव अभिभावक)	सदस्य

10	महिला समूह की एक प्रतिनिधि (जीविका, महिला समूह की सदस्या)	सदस्य
11	ग्रामीण शिक्षा समिति के प्रतिनिधि (जिसमें विद्यालय अवस्थित हो)	सदस्य
12	विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं आर्ट क्राफ्ट एवं संस्कृति पृष्ठभूमि के तीन स्थानीय व्यक्ति (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नामित किये जायेगें)	सदस्य
13	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी DPO/PO/BEEO – विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य
14	लेखा एवं अंकेक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य
15	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

उक्त सदस्यों में यदि किसी प्रतिनिधि/सदस्य का पद रिक्त हो तो भी समिति का गठन किया जा सकेगा तथा समिति कार्य करती रहेगी।

कार्यः–

(1) विद्यालय से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का DCF में संकलन सुनिश्चित करना एवं आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत विद्यालय के समुचित संचालन हेतु योजना का निर्माण

(2) विद्यालय दैनिक संचालन का सतत अनुश्रवण करना

(3) विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित करना तथा संचालन संबंधी समस्याओं को चिन्हित कर सुधारात्मक उपाय सुझावित करना एवं कार्यान्वियन का अनुश्रवण करना।

(4) विद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास एवं रख–रखाव के संबंध में निर्णय लेना एवं विद्यालय भवन निर्माण समिति को अनुशंसा भेजना।

(5) विद्यालय के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक कार्यकलापों के कार्यान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाना

(6) विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में विद्यालय के सभी आवर्त्ती एवं गैर आवर्त्ती व्यय संबंधी अभिलेखों एवं अन्य कार्यकलापों के संबंध में सूचना देना एवं सहमति प्राप्त करना।

विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अंतर्गत विद्यालय भवन समिति एवं विद्यालय शैक्षणिक समिति उप समिति के रूप में कार्य करेगी जिनकी संरचना एवं कार्य निम्न होगें।

<u>(1) विद्यालय भवन समिति (School Building Committee)</u>

संरचना – इस कमिटी की संरचना निम्नवत होगी –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	विद्यालय के प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	पंचायती राज संस्था जिसमें विद्यालय अवस्थित है कि प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत अभिभावक	सदस्य
4	असैनिक अभियंता/BSEIDC/PWD सर्व शिक्षा अभियान– परामर्शी सदस्य	सदस्य
5	लेखा और अंकेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

कार्यः– विद्यालय भवन समिति के निम्न कार्य होगें –

(1) विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास की योजना बनाना एवं इससे संबंधी प्राक्कलन निर्माण प्रबंधन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन तैयार करना।

(2) असैनिक कार्यो के संबंध मे लेखा का संधारण।

(3) असैनिक कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन तैयार करना।

(4) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठकों में विद्यालय में निर्माणाधीन असैनिक कार्य के संबंध में प्रतिवेदन स्थापित करना तथा विद्यालय में आवश्यक निर्माण नवीकरण, मरम्मति इत्यादि के संबंध में प्रस्ताव देना।

(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति (School Academic Committee)

संरचना –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत अभिभावक	सदस्य
3	विज्ञान अथवा गणित के एक शिक्षक (अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा चयनित)	सदस्य
4	सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षक	सदस्य
5	विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित नवम् वर्ग के एक छात्र एवं एक छात्रा	सदस्य
6	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

विद्यालय शैक्षणिक समिति के कार्य–

(1) विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना इसके लिए कमिटी द्वारा शैक्षणिक योजना बनायी जायेगी, शैक्षणिक प्रबंधन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन एवं आंकड़ों के संग्रहण पर भी कार्य किया जायेगा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति यह भी सुनिश्चित करेगी की विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया समता मूलक (Equity based) हो तथा इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक लिंग तथा निःशक्तता संबंधी अवरोधों को कम (minimise) किया जाय।

(3) छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति का अनुश्रवण भी इस समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा की जायेगी।

(5) छात्रों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श (Guidance & Counselling) संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

(6) विद्यालय के छात्रों की उपलब्धियों (शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक) की समीक्षा की जायेगी तथा तद्नुसार विद्यालय प्रशासन को दिया जायेगा।

(7) विद्यालय शैक्षणिक समिति विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की योजना बनायेगी तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में अनुशंसा भी करेगी।

उक्त तीनों कमिटी के सदस्यों के स्थान्तरण/सेवा निवृत/विद्यालय में छात्रों के नामांकन में बदलाव/रिक्त हुए स्थान पर प्रधानाध्यापक प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में कमिटी का सदस्यों के नाम के साथ पुनर्गठन कर लेगें जो उस सत्र में कार्य करेंगी।

(7) विद्यालय शैक्षणिक समिति विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की योजना बनायेगी तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में अनुशंसा भी करेगी।

उक्त तीनों कमिटी के सदस्यों के स्थान्तरण/सेवा निवृत/विद्यालय में छात्रों के नामांकन में बदलाव/रिक्त हुए स्थान पर प्रधानाध्यापक प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में कमिटी का सदस्यों के नाम के साथ पुनर्गठन कर लेगें जो उस सत्र में कार्य करेंगी।

विद्यालय शैक्षणिक समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी तथा बैठक की कार्यवाही संधारित करते हुए विद्यालय में अभिलेख संचित किया जायेगा।

विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाय तथा सभी उप कमिटी की बैठक प्रत्येक पन्द्रह माह पर आयोजित किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक BMSP-03/2011-32 दिनांक 18.04.2011 के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयस्तर पर गठित तदर्थ समिति रद्द एवं संशोधित की जाती है।

उक्त निदेश के आलोक में अपने जिले के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कमिटी का गठन दिनांक 15.04.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करें तथा गठन संबंधी प्रतिवेदन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिनांक 20.04.2017 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि SMDC के सदस्यों का प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी विद्यालयस्तरीय गतिविधियाँ 2017–18 में सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके।

विश्वासभाजन

(के० सेंथिल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक BMSP/SMDC/589/16-326 पटना, दिनांक : 12 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, सभी जिले, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

2500
(5)
45

Bihar Madhyamik Shiksha Parishad

8th Floor, Bihar School Examination Board
(Sr.Section) Building, Buddha Marg, Patna

पत्रांक : BMSP/SMDC/589/16-603 दिनांक 18 जुलाई, 2017

प्रेषक :

के० सेंथिल कुमार, (भा०प्र०से०)
राज्य परियोजना निदेशक

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA),
सभी जिले, बिहार।

विषय : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयस्तरीय गठित विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति संबंधी खाता संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के गठन संबंधी पत्रांक SMDC/589/16-326 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के क्रम में सूचित करना है कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राशि के संधारण के लिए बैंक एवं अलग खाता रखना सुनिश्चित किया जाय। इस खाते का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–अध्यक्ष–विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा वरीय शिक्षक–सह–सचिव– विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लेखा का संधारण/कैश बुक की प्रविष्टि नियमित रूप से विद्यालय के लिपिक/लेखा संबंधी कार्य करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी। उक्त निदेश माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी खाते/कैशबुक का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाय।

विश्वासभाजन

(के० सेंथिल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या सं०–मा०शि०/सा०प्र०अधि०–प०–99/93 (खण्ड) ____ पटना, दिनांक ____

विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित किया जायेगा। साथ ही, विभागीय संकल्प संख्या–503 दिनांक–22.02.2019 के आलोक में भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी पंचायत में एक से अधिक मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किए जाने का नीतिगत निर्णय है।

2. उक्त नीतिगत निर्णय के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करने वाले मध्य विद्यालयों को क्रमिक रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इस कोटि के विद्यालयों में कक्षा–1 से लेकर कक्षा–12 तक का अध्यापन क्रमिक रूप से संचालित किया जा रहा है।

3. राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कक्षा–9 से कक्षा–12 तक संचालित है, में प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या–259 दिनांक–22.02.2002 एवं 857 दिनांक–05.06.2008 में है।

4. राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय, जो कक्षा–1 से कक्षा–8 तक संचालित है, के लिए एक विद्यालय शिक्षा समिति के गठन का प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या–1318 दिनांक–16.09.2013 द्वारा अधिसूचित "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के तहत है।

5. कक्षा–1 से कक्षा–12 तक संचालित विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन का मामला विभाग के स्तर पर विचाराधीन रहा है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वैकल्पिक रूप से कक्षा–9 के संचालन के लिए प्रबंध समिति के गठन का मामला भी विचाराधीन है।

6. उक्त तथ्यों पर समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं :–

(i) उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जहाँ कक्षा–1 से लेकर कक्षा–12 तक का अध्यापन क्रमिक रूप से संचालित किया जा रहा है, में कक्षा–1 से कक्षा–8 का प्रबंधन विभागीय अधिसूचना संख्या–1318 दिनांक–16.09.2013 द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा ही किया जायेगा। इसी प्रकार कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के प्रबंधन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–259 दिनांक–22.02.2002 के तहत गठित होने वाले प्रबंध समिति के द्वारा किया जायेगा।

(ii) उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वैकल्पिक रूप से कक्षा–9 के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन भी विभागीय अधिसूचना संख्या–259 दिनांक–22.02.2002 के तहत गठित होने वाले प्रबंध समिति के

द्वारा किया जायेगा। इस अधिसूचना के तहत प्रबंध समिति के गठन होने तक कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के लिए गठित विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा।

7 उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरशद फिरोज) 7/7/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक — मा०शि०/सा०प्र०अधि०–प०–99/93 (खण्ड)1020 पटना, दिनांक :– 07.07.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/7/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :–मा०शि०/सा०प्र०अधि०–प०–99/93 (खण्ड)1020 पटना, दिनांक :– 07.07.2020

प्रतिलिपि:– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है के प्रकाषित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय हेतु उपलब्ध करायी जाय।

7/7/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग